Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान : टीकुराम (मृतक) जरिये गंगा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार सं. 106 सन् 2019

किस्म मुकदमा : **प्रार्थना–पत्र** अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2019	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। अभिभाषक पक्षकार उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि टीकूराम पुत्र सदूराम के वारिस ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि टीकूराम पुत्र सदूराम जाति चमार निवासी लालगढ़िया बारानी के नाम से ग्राम लालगढ़ बारानी तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 118 में 14.13 बीघा भूमि आरजीकाश्त वर्ष 1955 से पूर्व की दर्ज कागजात थी जो कि राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी/जमाबन्दी से साबित है जो कि सम्वत् 2044 की जमाबन्दी में खसरा नं. 118/1 में 4.03 बीघा व खसरा नं. 118/2 में 10.10 बीघा टीकूराम वल्द सदूराम कौम जाट के नाम दर्ज कागजात है। जमाबन्दी तैयार करते समय कौम 'चमार' के स्थान पर 'जाट' गलत अंकित हो गया है। वर्तमान में टीकूराम पुत्र सदूराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी उसका जायज वारिस होने से मौका पर उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी पूर्व अंकन अनुसार अंकित काश्तकार टीकूराम वल्द सदूराम कौम 'जाट' के स्थान पर कौम 'चमार' की दुरूस्ती चाहता है। नियमानुसार दुरूस्ती करने की प्रार्थना की। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली मुरतीब कर सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व राजस्व रिकॉर्ड के अंकन का अवलोकन करवाया एवं रिपोर्ट तहसीलदार में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को पुष्ट होना बताते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पैरोकार राज द्वारा राज्य हित सुरक्षित रखते हुए निर्णय करने का निवेदन किया गया। पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् पत्रावली के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि रोही लालगढ़ बारानी तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 118/1 में 1.058 है0 व खसरा नं. 118/2 में 2.657 है0, कुल 3.715 है0 बारानी भूमि टीकूराम पुत्र सदूराम जाति जाट सा. देह खातेदारी रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार टीकूराम फौत है। मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2042 में उक्त रकबा टीकूराम पुत्र सदूराम कौम जाट के नाम से अंकित है, जबकि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028 से 2031 में उक्त खसरा नं. 118/1 में 4.03 बीघा व 118/2 में 10.10 बीघा में टीकू वल्द सदू कौम चमार सा. देह रिकॉर्ड में दर्ज है। मौका पर टीकूराम के वारिसान का कब्जा काश्त है। किसी प्रकार का विवाद/स्थगन नहीं है। टीकूराम वल्द सदूराम जाति चमार शुद्ध किया जाना उचित बताया। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि पूर्व में खसरा नं. 118 में 14.13 बीघा सम्वत् 2022 से टीकू वल्द सदू जाति चमार के नाम दर्ज कागजात रही है। वर्तमान में जाति 'चमार' के स्थान पर 'जाट' का अंकन हुआ है जो तहसील रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती योग्य है। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा दुरूस्ती से एतराज नहीं किया गया। अतः रिपोर्ट तहसीलदार व रिकॉर्ड के अवलोकन एवं अनुशंसा तहसीलदार अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वाके रोही लालगढ़ बारानी तहसील सूरतगढ़ की वर्तमान जमाबन्दी में खाता आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व में अंकित टीकूराम पुत्र सदूराम 'जाट' के स्थान पर 'चमार' अंकित करते हुए रोही लालगढ़ बारानी तहसील सूरतगढ़ के उपरोक्त अंकित खाते में जाति दुरूस्त कर टीकूराम पुत्र सदूराम जाति 'जाट' के स्थान पर 'चमार' अंकित कर वास्ते आरजी 55 पूर्व की भूमि खसरा नं. 118/1 में 1.058 है0 व खसरा नं. 118/2 में 2.657 है0, कुल 3.715 है0 बारानी भूमि हेतु जाति दुरूस्त कर टीकूराम पुत्र सदूराम जाति जाट में 'जाति जाट' को कलमजन कर 'जाति चमार' दुरूस्त किये जाने व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेंगे। इसी प्रकार दुरूस्ती का अंकन करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम पत्र लिखा जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	2732 09.12.19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.11 13:27:39 IST
Reason: SelfAttested